

मुख्य मंत्री सैनिक कल्याण कोष, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2014 से 31.03.2018 तक

भाग -1

1 गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनिर्णीत पैरों की नवीनतम स्थिति का विवरण **परिशिष्ट-क** पर दिया गया है।

भाग -2

2 वर्तमान लेखा परीक्षा:-

हिमाचल प्रदेश सैनिक कल्याण कोष के लेखाओं अवधि 01.04.2014 से 31.03.2018 का अंकेक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिए गए हैं, श्री अनिल शर्मा, सहायक नियंत्रक (ले.प.) द्वारा दिनांक 13.08.2018 से 25.08.2018 तक हिमाचल प्रदेश सचिवालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु मास 03/2017 आय के लिए व माह 12/2014, 02/2016, 07/2016 और 02/2018 व्यय के लिए चयन किया गया।

अंकेक्षण प्रतिवेदन संस्था द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं व अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, संबन्धित संस्था द्वारा किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना उपलब्ध न करवाने पर पाई गई त्रुटियों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा अपितु इस विभाग का दायित्व केवल विस्तृत जाँच हेतु चयनित मासों तक ही सीमित है।

3 लेखा परीक्षा शुल्क:-

हिमाचल प्रदेश मुख्य मंत्री सैनिक कल्याण कोष के लेखों अवधि 01.04.2014 से 31.03.2018 तक का अंकेक्षण शुल्क ₹8000 आँका गया है जिसे सहायक नियंत्रक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के पत्र संख्या 98/2018, दिनांक 25.08.2018 द्वारा इस राशि को बैंकर चैक द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-09 को शीघ्र भेजने हेतु आग्रह किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

(क) हिमाचल प्रदेश मुख्य मंत्री सैनिक कल्याण कोष के अवधि 01.04.2014 से 31.03.2018 तक के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

Chief Minister Sainik Welfare Fund, Shimla

Financial Position w.ef 01.04.2014 to 31.03.2018						
Year	Opening Balance	Income	Interest (FDRs + Saving)	Total	Payment	Closing Balance
2014-15	46622280.64	0	4281029	50903309.64	2303000	48600309.64
2015-16	48600309.64	0	4475811	53076120.64	11270000	41806120.64
2016-17	41806120.64	35000	3092151	44933271.64	4740000	40193271.64
2017-18	40193271.64	0	3343928	43537199.64	7690000	35847199.64
Detail of Balances						
In Saving Bank A/c 4004 (हि.प्र.को.आ.बैंक)						16518275.64
FDR (Detail Attached)						19328924.00
Total						35847199.64
Difference (if any)						0

(ख) पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 4(ख) में आपति दर्ज की गई थी कि ₹92,730.25 बिना मिलान के दिनांक 06.01.2007 को रोकड़ बही में आय के रूप में जमा दर्शाकर बैंक के साथ मिलान किया गया था, जो कि आपत्तिजनक हैं। अतः अंकेक्षण की और से पुनः यह सुझाव दिया जाता है कि उक्त राशि का बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाए व उक्त राशि अर्थात् ₹92,730.25 का मिलान सुनिश्चित किया जाए तदनुसार अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

5 **सावधि जमा:-**

दिनांक 31.03.2018 को सावधि खाते में ₹1,93,28,924 की राशि निवेश की गई थी, निवेशित राशि का पूर्ण विवरण परिशिष्ट 'ख' पर दिया गया है।

6 **मुख्य मंत्री सैनिक कल्याण कोष से किए गए व्यय को समिति से अनुमोदन नहीं करवाया जाना:-**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 02/2014 के पश्चात से वर्तमान तक मुख्य मंत्री सैनिक कल्याण कोष से किए गए व्यय को मुख्य मंत्री सैनिक कल्याण कोष के लिए गठित समिति से

अनुमोदित नहीं करवाया गया था। जबकि अधिसूचना सं . जी. ए. डी. (ई)(सी)8-1/99, दिनांक 18.09.2003 के पैरा सं. 5 (a) में वर्णित वित्तीय शक्तियों के अनुसार " The Committee shall have powers to utilize the fund to achieve its objectives." अर्थात् कोष को उसके निर्धारित उद्देश्यों हेतु उपयोग करने की शक्तियां समिति (Committee) में ही निहित हैं। इस नियम के अनुसार कोष के संचालन हेतु गठित समिति से दिनांक 01.04.2014 से 31.03.2018 तक कोष से किए गए व्यय की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की जानी अपेक्षित थी , जो प्राप्त नहीं की गई। इस संदर्भ में पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी आपत्ति दर्ज की गई थी , परंतु आज तक इस संबंध में कोई ठोस कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। अतः पुनः अंकेक्षण की और से यह सुझाव दिया जाता है कि कोष से किए गए भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति वर्तमान में प्राप्त की जाए और आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए।

7 **कोष से किए गए ₹62,70,000 की राशि के भुगतान के संबंध में "भुगतान रसीद" (APR) प्राप्त न करना**

मुख्य मंत्री सैनिक कल्याण कोष से भुगतान जिला उपायुक्तों के माध्यम से किया जाता है। भुगतान के संबंध में प्रस्तुत किए गए विभिन्न अभिलेखों की पड़ताल में पाया गया कि भुगतान की गई राशि से संबन्धित रसीदें या तो विलंब से प्राप्त की गई थी या प्राप्त ही नहीं की गई थी। परंतु निम्न मामलों में भुगतान की गई राशि के संबंध में रसीद प्राप्त नहीं की गई थी। अतः कोष से भुगतान की गई राशियों के संबंध में रसीदें अविलम्ब प्राप्त की जाए जिसे आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया। इसके अतिरिक्त अवधि 01.04.2014 से 31.03.2018 के दौरान इस प्रकार के अन्य प्रकरणों की छानबीन विभागीय स्तर पर करके यह सुनिश्चित किया जाए कि समस्त भुगतानों के संबंध में आवश्यक रसीदें प्राप्त की जाए।

Date	CB P.No.	Draft No.	Amount	Name and address of soldier (whom ex-gratia grant was given)
Dec-14	101	232420/06.12.2014	25000	NOK of deceased Soldier Lt.Sep.Rajesh Kumar Vill. & P.O Birbaghera The Sujanpur Distt. Hamirpur Through Deputy Commissioner Hamirpur
Dec-14	101	232421/06.12.2014	25000	NOK of deceased Soldier Lt.Sep.Kashmir Singh VPO Karyara The. Dehra Distt. Kangra H.P. Through Deputy Commissioner Kangra
Dec-14	101	232453/24.12.2014	25000	NOK of deceased Soldier Lt.Deepak Singh, VPO Raranda The. Nurpur Distt. Kangra Through Deputy Commissioner Kangra

Dec-14	101	232452/24.12.2014	25000	NOK of deseased Soldier Lt.Sep.Sep.Malkit Singh Through Deputy Commissioner Hamirpur
Dec-14	101	232454/24.12.2014	300000	NOK of Lt.Sep.Rajat Guleria through Deputy Kangra
Dec-14	101	232454/24.12.2014	300000	Nok of Lt.Nb.Sub. Daljeet Singh through Deputy Commissioner Kangra
Feb-16	119	233592/26.02.2016	35000	NOK of deseased Soldier Lt.Hav/RST Jaswinder Kumar, VPO Katohar Kalan Distt. Una H.P.Through Deputy Commissioner Una
Feb-16	119	233592/26.02.2016	35000	NOK of deseased Soldier Lt.Manmohan Singh, Distt. Una Through Deputy Commissioner Una
Jul-16	125	233962/19.07.2016	500000	NOK of deseasd Soldier Lt. NK Rajneesh Singh through Deputy Commissioner Kangra
Jul-16	125	233961/19.07.2016	500000	NOK of Soldier Lt. Hav Parkash Chand through Deputy Commissioner Mandi.
Jul-16	125	233961/19.07.2016	500000	NOK of Soldier Lt. Sep. Manoj Kumar Through Deputy Commissioner Mandi.
Jul-16	125	233961/19.07.2016	500000	NOK of Soldier Lt. Sep. Vikas Bhardwaj through Deputy Commissioner Mandi
Feb-18	146	235508/26.02.2018	2000000	NOK of Soldier Lt. GD Suresh Kumar through Deputy Commissioner Kangra
Feb-18	146	235509/26.02.2018	500000	NOK of Soldier Lt. Hav. Rajesh Kumar through Deputy Commissioner Una
Feb-18	146	235509/26.02.2018	500000	NOK of Soldier Lt.LD Rakesh Kumar through Deputy Commissioner Una
Feb-18	146	235510/26.02.2018	500000	NOK of Soldier Lt.Hav.(TA) Shashi Kanta, through Deputy Commssioner Una
Total			6270000	

- 8 लघु आपत्ति विवरणिका :-लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं कि गई हैं लघु अपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया ।
- 9 निष्कर्ष :-लेखों में सुधार की आवश्यकता हैं। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनो के अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए ।

हस्ता /—
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
फोन नं0 0177-2620881

पृष्ठांकन संख्या:- फिन(एल0ए0)एच(2) सी(15)(14) 201/99-8123 दिनांक 13.12.18 शिमला-09

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

पंजीकृत 1 उप सचिव सामान्य प्रशासन विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2 इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करवाकर सटिप्पण उत्तरएक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/-
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
फोन नं0 0177-2620881